



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-08102020-222300
CG-DL-W-08102020-222300

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 11] नई दिल्ली, सितम्बर 27—अक्तूबर 3, 2020, शनिवार/ आश्विन 5—आश्विन 11, 1942
No. 11] NEW DELHI, SEPTEMBER 27—OCTOBER 3, 2020, SATURDAY/ASVINA 5—ASVINA 11, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2020

का.नि.आ. 14.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और (i) सेना आयुध कोर (समूह ग भंडारण कर्मचारिवृन्द) भर्ती नियम, 1986 को अधिकांश करते हुए जहां तक उनका संबंध वरिष्ठ भंडार अधीक्षक और भंडार अधीक्षक तथा (ii) सेना आयुध कोर, वरिष्ठ भंडार अधीक्षक (भंडार) (समूह ख पद अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2005 के पद से संबंधित है उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सेना आयुध कोर, रक्षा मंत्रालय में अधीक्षक (सामग्री) और वरिष्ठ सामग्री सहायक की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, सेना आयुध कोर, में अधीक्षक

(सामग्री) और वरिष्ठ सामग्री सहायक (समूह ख पद) भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना. - ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर :- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर, वे होंगे, जो उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता, आदि :- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता :- वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :-

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति :- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति :- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों अन्य और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. वरिष्ठ सामग्री सहायक।	*820 (2020) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर-6 (रु. 35400-112400)।	चयन।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा

(6)

30 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों के मामले में 5 वर्ष तक के लिए शिथिल की जा सकती है)।

टिप्पण 1 : आयु-सीमा की निर्णायक तिथि का निर्धारण कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार होगा।

टिप्पण 2 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

(7)

अर्हताएं :-

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र या वाणिज्य सांख्यिकी या व्यवसायिक अध्ययन या लोक प्रशासन में मास्टर डिग्री।

(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या सांविधिक या स्वायत्त संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या बैंकों या किसी निजी क्षेत्र के संगठन जो भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो, के किसी भंडार में या कम्पनी (concern) में भंडार संभालने एवं लेखा संचालन में एक वर्ष का अनुभव।

या

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र या वाणिज्य या सांख्यिकी या व्यवसायिक अध्ययन या लोक प्रशासन में एक विषय के रूप में स्तानक डिग्री।

(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सामग्री प्रबंधन या भांडागारण प्रबंधन या क्रय करने या सैन्यतंत्र या लोक उपापन में डिप्लोमा।

(iii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या सांविधिक या स्वायत्त संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या बैंकों या किसी निजी क्षेत्र के संगठन जो भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो, के किसी भंडार में या कम्पनी (concern) में भंडार संभालने एवं लेखा संचालन में दो वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1 : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता/अर्हताएं उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
(8)	(9)
नहीं।	दो वर्ष।

भर्ती की पद्धति भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(10)
75% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, 25% प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेसन किया जाएगा।
(11)
प्रोन्नति:-- ऐसा सामग्री सहायक जिसने वेतन मैट्रिक्स रु. 29200-92300 रुपए के स्तर-5 में उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की है और सुसंगत क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का आज्ञापक प्रशिक्षण को सफलता पूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति :-- केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसा अधिकारी :-- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पद सदृश पर धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (रु. 29200-92300) के स्तर-5 या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :-- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र या वाणिज्य या सांख्यिकी या व्यवसायिक अध्ययन या लोक प्रशासन में मास्टर डिग्री। (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या सांविधिक या स्वायत्त संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या बैंकों या किसी निजी क्षेत्र के संगठन जो भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो, के किसी भंडार में या कम्पनी (concern) में भंडार संभालने एवं लेखा संचालन में एक वर्ष का अनुभव। या (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र या वाणिज्य या सांख्यिकी या व्यवसायिक अध्ययन या लोक प्रशासन में एक विषय के रूप में स्नातक डिग्री।

- (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सामग्री प्रबंधन या भंडागारण प्रबंधन या क्रय करने या सैन्यतंत्र या लोक उपापन में डिप्लोमा।
- (iii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या सांविधिक या स्वायत्त संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या बैंकों या किसी निजी क्षेत्र के संगठन जो भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो, के किसी भंडार में या कम्पनी (concern) में भंडार संभालने एवं लेखा संचालन में दो वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।

(12)

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-

1. महानिदेशक, आयुध सेवा द्वारा नामनिर्देशित ब्रिगेडियर रैंक का अधिकारी, एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (सेना), नई दिल्ली - अध्यक्ष;
2. महानिदेशक आयुध सेवा द्वारा नामनिर्देशित कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का अधिकारी, एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (सेना), नई दिल्ली - सदस्य;
3. सेना आयुध कोर से भिन्न सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या सेना के मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य;
4. महानिदेशक, आयुध सेवा द्वारा नाम निर्देशित एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (सेना), नई दिल्ली का एक अधिकारी - सदस्य।

समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-

1. महानिदेशक, आयुध सेवा द्वारा नामनिर्देशित ब्रिगेडियर रैंक का अधिकारी, एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (सेना), नई दिल्ली - अध्यक्ष;
2. महानिदेशक आयुध सेवा द्वारा नामनिर्देशित कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का अधिकारी, एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (सेना), नई दिल्ली - सदस्य;
3. सेना आयुध कोर से भिन्न सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या सेना के मेजर रैंक का एक अधिकारी - सदस्य;
4. महानिदेशक, आयुध सेवा द्वारा नाम निर्देशित एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (सेना), नई दिल्ली का एक अधिकारी - सदस्य।

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

(13)

आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)
2. अधीक्षक (सामग्री)।	410* (2020) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित अननुसचिवीय।	स्तर 7; (रु. 44900 - 142400)।

(5)	(6)	(7)
चयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(11)

प्रोन्नति :-

ऐसा ज्येष्ठ सामग्री सहायक जिसने वेतन मैट्रिक्स (रु. 35400-112400) के स्तर-6 में उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और संबंधित क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का आज्ञापक प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति :-

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी :-

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (35400-112400 रुपए) के स्तर-6 या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :-

- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र या विणिज्य या सांख्यिकी या व्यवसायिक अध्ययन या लोक प्रशासन में मास्टर डिग्री; और
- (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या सांविधिक या स्वायत्त संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान के किसी भंडार में या कम्पनी (concern) में भंडार संभालने एवं लेखा संचालन में दो वर्ष का अनुभव।

या

- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र या विणिज्य या सांख्यिकी या व्यवसायिक अध्ययन या लोक प्रशासन में स्नातक डिग्री; और
- (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सामग्री प्रबंधन या भांडागारण प्रबंधन या क्रय करने या सैन्य तंत्र या लोक उपापन में डिप्लोमा।
- (iii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या सांविधिक या स्वायत्त संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान के किसी भंडार में या कम्पनी (concern) में भंडार संभालने एवं लेखा संचालन में तीन वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:—

1. महानिदेशक, आयुध सेवा द्वारा नामनिर्देशित ब्रिगेडियर रैंक का अधिकारी, एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (सेना), नई दिल्ली – अध्यक्ष;
2. महानिदेशक आयुध सेवा द्वारा नामनिर्देशित कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का अधिकारी, एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (सेना), नई दिल्ली – सदस्य;
3. सेना आयुध कोर से भिन्न सेवाओं के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या सेना के मेजर रैंक का एक अधिकारी – सदस्य;
4. महानिदेशक, आयुध सेवा द्वारा नाम निर्देशित एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (सेना), नई दिल्ली का एक अधिकारी – सदस्य।

(13)

आवश्यक नहीं है।

[फा.सं. ए/23731/आर आर/एस (एम) & एस एम ए/ओएस-8सी(ii)/187/आर आर/र. (नि.)/2020]

अशोक चक्रपाणि, निदेशक, ओएसडी (सीपी)

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 29th September, 2020

S.R.O. 14.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of (i) the Army Ordnance Corps (Gp 'C' Storekeeping Staff) Recruitment Rules, 1986, in so far as they relate to the posts of Senior Stores Superintendent and Stores Superintendent and (ii) the Army Ordnance Corps, Senior Store Superintendent (Stores) (group 'B' posts Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2005, except as respects thing done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Superintendent (Materials) and Senior Material Assistant, in the Army Ordnance Corps, Ministry of Defence, namely :-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Army Ordnance Corps, Superintendent (Materials) and Senior Material Assistant (Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 2020.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette
2. Application.- These rules shall apply to posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Number of posts, classification and level in pay matrix.**----- The number of the said posts, its classification, level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.
4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**-----The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
5. **Disqualification.**----- No person,-----
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Posts.	Number of Posts.	Classification.	Level in pay matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Senior Material Assistant.	*820 (2020) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400).

Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(5)	(6)
Selection.	30 Years (relaxable for govt servants upto 5 years in accordance with instructions or orders issued by Central Government). Note 1 : The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the SSC. Note 2 : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date

	for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep.
--	---

Educational and other qualifications required for direct recruits.	
(7)	
Qualification :	
(i) Master's Degree with Economics or Commerce or Statistics or Business Studies or Public Administration from a recognised University or institute.	
(ii) One Year experience in handling Stores and keeping Accounts in a Store or in a concern of Central Government or States Governments or Statutory or autonomous organisation or Public Sector Undertaking or recognised University or any recognised institution or Banks or in a private sector organisation listed on the stock exchanges of India.	
OR	
(i) Bachelor's Degree in Economics or Commerce or Statistics or Business Studies or Public Administration as a subject from a recognised University or Institute.	
(ii) Diploma in Materials Management or Warehousing Management or Purchasing or Logistics or Public Procurement from recognised University or institute.	
(iii) Two years experience in handling Stores and keeping Accounts in a store or a concern of Central Government or States Governments or autonomous or statutory organisation or Public Sector Undertaking or recognised University or Banks or in a private sector organisation listed on the Stock exchanges of India.	
Note 1: Qualification are relaxable at the discretion of the competent authority or Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.	
Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority or Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority or Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(8)	(9)
No.	Two years.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(10)
Seventy-five per cent. by promotion failing which by deputation and twenty-five per cent. by deputation failing which by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(11)
Promotion:
Material Assistant in level-5 in the pay matrix Rs. 29200-92300 with six years regular service in the grade and have successfully completed mandatory training of two to four weeks in the relevant area.
Note : Where junior who have completed their qualifying eligibility service are being considered for promotion, their

seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation :

Officers from the Central Government or State Governments or Union territories :

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or
- (ii) with six years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300) or equivalent in the parent cadre or Department; and
- (b) possessing the following Educational Qualification and experience :
- (i) Master's Degree with Economics or Commerce or Statistics or Business Studies or Public Administration from a recognised University or institute.
- (ii) One Year experience in handling Stores and keeping Accounts in a Store or in a concern of Central Government or States Governments or Statutory or autonomous organisation or Public Sector Undertaking or recognised University or any recognised institution or Banks or in a private sector organisation listed on the stock exchanges of India.
- OR
- (i) Bachelor's Degree in Economics or Commerce or Statistics or Business Studies or Public Administration as a subject from a recognised University or Institute.
- (ii) Diploma in Materials Management or Warehousing Management or Purchasing or Logistics or Public Procurement from recognized University or institute.
- (iii) Two years experience in handling Stores and keeping Accounts in a store or a concern of Central Government or States Governments or autonomous or statutory organisation or Public Sector Undertaking or recognised University or Banks or in a private sector organisation listed on the Stock exchanges of India.

Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation or absorption. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2 : Period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

Note 3 : The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Officer of the rank of Brigadier nominated by the Director General of Ordnance Services, Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Army), New Delhi - Chairman; 2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel nominated by the Director General of Ordnance Services, Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Army), New Delhi - Member;	Not necessary.

3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Army or Services other than Army Ordnance Corps - Member; 4. An officer of Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Army), New Delhi nominated by the Director General of Ordnance Services - Member. Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Officer of the rank of Brigadier nominated by the Director General of Ordnance Services, Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Army), New Delhi - Chairman; 2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel nominated by the Director General of Ordnance Services, Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Army), New Delhi - Member; 3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Army or Services other than Army Ordnance Corps - Member; 4. An officer of Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Army), New Delhi nominated by the Director General of Ordnance Services - Member.	
---	--

(1)	(2)	(3)
2. Superintendent (Materials).	410 * (2020) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.

(4)	(5)
Level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400).	Selection.

(6)	(7)
Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.

(10)
By promotion failing which by deputation.

(11)
Promotion: Senior Material Assistant in level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) with five years regular service in the grade and have successfully completed mandatory training of two to four weeks in the relevant area. Note : Where junior who have completed their qualifying eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation : Officers from the Central Government or State Governments or Union territories : (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in

level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) or equivalent in the parent cadre or Department; and

(b) possessing the following Educational Qualification and experience :

- (i) Master Degree with Economics or Commerce or Statistics or Business Studies or Public Administration from a recognised University or institute; and
- (ii) Two years experience in handling stores and keeping Accounts in a store or in a concern of Central Government or States Governments or statutory or autonomous organisation or Public Sector Undertaking or recognised university or recognised institution.

OR

- (i) Bachelor Degree in Economics or Commerce or Statistics or Business Studies or Public Administration as a subject from a recognised University or institute; and
- (ii) Diploma in Material Management or Warehousing Management or Purchasing or Logistics or Public Procurement from a recognised University or institution; and
- (iii) Three years experience in handling Stores and keeping Accounts in a store or a concern of Central Government or States Governments or autonomous or statutory organisation or Public Sector Undertaking or recognised university or recognised institution.

Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation or absorption. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2 : Period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

Note 3 : The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Officer of the rank of Brigadier nominated by the Director General of Ordnance Services, Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Army), New Delhi - Chairman; 2. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel nominated by the Director General of Ordnance Services, Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Army), New Delhi - Member; 3. An officer of the rank of Colonel or Lieutenant Colonel or Major of Army or Services other than Army Ordnance Corps - Member; 4. An officer of Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Army), New Delhi nominated by the Director General of Ordnance Services - Member.	Not necessary.

[F. No. A/23731/RR/S(M) & SMA/OS-8C(ii)/187/RR/D(Apptts)/2020]
ASHOK CHAKRAPANI, Director, OSD (CP)